भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3578
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

देश में ऑटिज्म की व्याप्तता

3578. श्री नवीन जिंदलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में ऑटिज्म की व्याप्तता के संबंध में कुल संख्या और प्रतिशत के रूप में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार अद्यतन आंकड़े क्या हैं;
(ख) देश में ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों के कल्याण और पुनर्वास के संबंध में सरकार की मौजूदा नीति का ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ऑटिज्म से ग्रस्त लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के वास्तविक लक्ष्य और निधि के आबंटन का वर्षवार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धियों और इन पर हुए व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), बेंगलुरू के माध्यम से देश के 12 राज्यों में कराए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2016 के अनुसार, 13-17 वर्ष के आयु वर्ग में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार की व्यापकता 1.6% थी।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत मोबाइल स्वास्थ्य टीमें (एमएचटी) आंगनवाड़ी और स्कूलों में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच करती हैं, जिसमें चार डी शामिल हैं: जन्म के समय विकार(डिफेक्ट), रोग(डिजिज़), न्यूनता(डेफिशिएंसी) और विकास में देरी(डिले)। ऑटिज्म विकासात्मक देरी के अंतर्गत आने वाली स्वास्थ्य स्थितियों में से एक है।

चिन्हित किए गए बच्चों को जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्रों (डीईआईसी) में प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएं और अनुवर्ती स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। डीईआईसी उपचार के लिए भेजे गए (रेफर्ड) और उपचारित मामलों के अनुपरीक्षण प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर विकासात्मक सहायक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करते हुए कई सेवाएँ प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता (बौद्धिक दिव्यांगता) और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में ऑटिज्म सहित राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाली दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत, जिला मजिस्ट्रेट / जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी) के माध्यम से इन दिव्यांगजनों के लिए कानूनी अभिभावकों की नियुक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रीय न्यास भी योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जैसे - दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता) योजना, विकास (डे केयर) योजना, दिशा-सह-विकास (डे केयर) योजना, समर्थ (आराम स्वास्थ्य) योजना, घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह) योजना, समर्थ-सह-घरौंदा (आवासीय) योजना और निरामया-स्वास्थ्य बीमा योजना। पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत शामिल दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय न्यास द्वारा निर्धारित भौतिक लक्ष्य और निधियों के आवंटन का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्योरा अनुलग्नक-क में दिया गया है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) राष्ट्रीय संस्थानों/समग्र क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) के अंतर्गत 26 क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेन्शन सेंटर (सीडीईआईसी) चलाता है, जो एएसडी से ग्रस्त व्यक्तियों की भी स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतें पूरी करते हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 'सहायक सामग्री और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडीआईपी)' की योजना को भी लागू करता है, जिसके तहत देश भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले व्यक्तियों सहित पात्र दिव्यांगजनों को ऐसी टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक सामग्री और उपकरण खरीदने में सहायता करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशि जारी की जाती है, जिससे कि दिव्यांगता के प्रभावों को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दिया जा सके। विभाग लाभार्थी की बायोमैकेनिकल कमी के अनुसार विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण प्रदान करता है जैसे कि व्हीलचेयर, शिक्षण और अधिगम सामग्री किट आदि, ताकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले व्यक्ति के पुनर्वास में सहयोग किया जा सके।

समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शिक्षा मंत्रालय ने एक या अधिक विकलांगता से ग्रस्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्लूएसएन) की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा घटक समर्पित किया है। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। शिक्षकों को विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शिक्षकों को समावेशी शिक्षण विधियों को अपनाने और विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना (आईईपी) बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दिव्यांग छात्रों के लिए परीक्षा के दौरान विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, जैसे अतिरिक्त समय, लेखक(स्क्राइब) का प्रयोग या कंप्यूटर का प्रयोग करने का विकल्प। परीक्षा बोर्ड बोर्ड की परीक्षाओं (कक्षा X और XII) (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम-2016) में सभी निर्धारित दिव्यांगताओं में छूट प्रदान करता है।

***

अनुलग्नक-क

वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भौतिक लक्ष्य और निधियों का आवंटन

क्रम सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	2	0	2	0	17	0
2	आंध्र प्रदेश	7492	1.46	8166	1.99	7228	1.88	7314	1.90	750	1.82
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4	असम	65	0.10	73	0.18	114	0.14	165	0.16	122	0.27
5	बिहार	278	0.36	154	0.45	341	0.86	602	0.84	469	0.88
6	चंडीगढ़	38	0.01	44	0.03	97	0.02	107	0.06	118	0.05
7	छत्तीसगढ़	43	-0.28	45	0.01	128	0.32	99	0.59	124	0.65
8	दमन और दीव	1	0.00	1	0.00	8	0.00	1	0.00	2	0.00
9	दिल्ली	744	0.31	598	0.35	687	0.45	677	0.55	572	0.42
10	गोवा	7	0.00	1	0.00	36	0.00	43	0.00	80	0.00
11	गुजरात	5602	1.60	6679	1.52	10653	1.91	20159	3.09	20629	3.15
12	हरियाणा	329	0.24	435	0.34	356	0.46	507	0.38	332	0.38
13	हिमाचल प्रदेश	99	0.10	189	0.18	185	0.19	201	0.17	256	0.15
14	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00	62	0.06	231	0.22	168	0.30
15	झारखंड	194	0.02	158	0.03	242	0.11	261	0.09	185	0.04
16	कर्नाटक	2143	0.98	1940	0.78	2217	0.98	2920	1.96	6535	1.73
17	केरल	54482	3.16	58705	2.70	78263	3.86	82722	6.43	45263	3.46

18	लद्दाख	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	लक्षद्वीप	2	0.00	2	0.00	6	0.00	6	0.00	5	0.00
20	मध्य प्रदेश	2556	2.79	86895	4.40	6943	5.00	58025	7.09	3415	5.41
21	महाराष्ट्र	4234	1.50	3925	1.08	3902	1.21	4840	2.03	5924	2.31
22	मणिपुर	15	0.01	36	0.08	55	0.18	129	0.22	107	0.21
23	मेघालय	21	0.03	81	0.10	24	0.05	257	0.16	105	0.10
24	मिजोरम	45	0.00	38	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
25	नागालैंड	1	0.00	0	0.00	13	0.00	0	0.00	2	0.00
26	ओडिशा	731	1.17	1799	2.18	2752	2.58	2988	3.08	1282	2.78
27	पंजाब	113	0.25	105	0.26	254	0.25	241	0.23	305	0.12
28	पुदुचेरी	42	0.00	80	0.23	198	0.23	296	0.22	232	0.23
29	राजस्थान	225	0.15	220	0.21	236	0.18	271	0.33	196	0.36
30	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	2	0.00	0	0.00	25	0.00
31	तमिलनाडु	2556	1.77	1669	1.53	2306	1.58	3233	3.42	3334	3.41
32	तेलंगाना	843	0.53	494	0.58	696	0.71	642	0.83	421	0.71
33	त्रिपुरा	23	0.01	35	0.01	153	0.01	265	0.01	353	0.01
34	उत्तर प्रदेश	775	2.30	924	3.48	1274	4.14	3459	4.69	1695	4.34
35	उत्तराखंड	43	0.18	91	0.16	58	0.21	113	0.19	166	0.18
36	पश्चिम बंगाल	999	1.57	2565	1.66	4007	1.62	6687	2.01	2928	2.30
	कुल		**20.30**		**24.51**		**29.20**		**40.96**		**35.77**

******